रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 1990 (ज्येष्ठ 12, 1912)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1990 (JYAISTHA 12, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	423
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	645
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	875
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	569
भाग III—खण्ड 2—पेटन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	611
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	1735
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .	71
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . .	

*ओहरे पत्र नहीं।

1—81 GI/90

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	423
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	645
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	875
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	569
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	611
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1736
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	71
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1990

सं० ए-11011/10/85 प्रशा०—I—इस सचिवालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 5 जुलाई, 1988 के संदर्भ में जिसके द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन किया गया था।

2 सरकार ने निर्णय लिया है कि आर्थिक सलाहकार परिषद् की अवधि उसी संघठन के रूप में 5 जुलाई, 1990 से 4 जुलाई, 1992 तक बढ़ा दी जाए।

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

(सामाजिक आर्थिक अनुसंधान एकक)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल 1990

संकल्प

सं० ओ-15011/2/90-एस०ई०आर०—योजना आयोग का दिनांक 2 अप्रैल, 1990 का संकल्प संख्या ओ-15011/2/90-एस०ई०आर० देखें :

2. उक्त संकल्प के पैरा 4 को हटा दिया जाए तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

"4 अनुसंधान सलाहकार समिति के सदस्य समिति के कार्य से संबंधित यात्राओं के लिए "एक्जीक्यूटिव क्लास" में हवाई यात्रा अथवा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा करने के पात्र होंगे।

"5. बाहर से आने वाले सदस्यों के लिए बैठक के स्थान पर आवास तथा भोजन की व्यवस्था योजना आयोग द्वारा अपने खर्चे पर की जाएगी।

"6 बैठक के स्थान पर अनुसंधान सलाहकार समिति के कार्य के सिलसिले में वाहन की व्यवस्था योजना आयोग करेगा।

"7. अनुसंधान सलाहकार समिति के जो सदस्य ऊपर पैरा 5 अथवा 6 में निर्दिष्ट सुविधाओं का लाभ नहीं उठाएंगे, वे उच्च शक्ति प्राप्त समितियों के सदस्यों को यथा अनुमत्य तथा व्यय विभाग के दिनांक 23 जून, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19020/1/84-ई-4 (समय-समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित दैनिक भत्ता (डीए) अथवा वाहन भत्ता (सी०ए०) पाने के पात्र होंगे। यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते तथा वाहन भत्ते पर होने वाले व्यय को योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

3. उपर्युक्त संकल्प के पैरा 3 को पैरा सं० 8 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित को भेजी जाए तथा सामान्य सूचना के लिए उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगदीश चन्द्र डंगवाल, निदेशक (प्रशा०)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1990 के नियम

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 1990

सं. 9/3/90-के.स. (2)—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1990 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों (तथा उन अन्य सेवाओं/पदों के लिए, जो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में सम्मिलित किए जाएंगे) में अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(1) भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-4

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा ग्रेड-2

(3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा-अवर श्रेणी ग्रेड

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा-अवर श्रेणी ग्रेड

(5) भारत के निर्वाचन आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद

(6) संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(7) केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद

उपरोक्त सेवाओं/पदों के लिए अधिमान, आयोग द्वारा केवल उन्हीं उम्मीदवारों से आमंत्रित किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद टंकण परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने के पात्र होंगे ।

2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों केवल (बहरे तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के लिए आरक्षण किया जाएगा ।

3 (क) "भूतपूर्व सैनिक" से आशय उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ के नियमित थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना में लड़ाकू अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो तथा

(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो, अथवा

(ख) जो सैनिक सेवा के लिए स्वीकार्य दोष अथवा उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के आधार पर उस सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो तथा जिसे मेडिकल अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो, तथा

(ग) जिसे कर्मचारियों की कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से अपने अनुरोध के अलावा किसी अन्य आधार पर निर्मुक्त किया गया हो, अथवा

(घ) जो आबन्ध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने निवेदन पर, दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण के बिना सेवा से निर्मुक्त अथवा सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा-उपदान (ग्रेच्युटी) दी गई है, इसमें प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं —

(1) निरन्तर भूर्त सेवा के पेंशनधारी

(2) सैनिक सेवा के दौरान हुई अक्षमता वाले व्यक्ति, तथा

(3) वीरता पुरस्कार विजेता ।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति से तात्पर्य भारतीय संविधान में उल्लिखित किसी भी जाति/कबीले से है । अनुसूचित जाति आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 संविधान (अनुसूचित संघ राज्य क्षेत्र), आदेश 1951, संविधान [अनुसूचित जनजाति (संघ राज्य क्षेत्र)] आदेश, 1951 (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) [सूचियां (संशोधन)] आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित (संविधान) (जम्मू तथा कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश [संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (दादरा और नागर हवेली)] अनुसूचित जनजाति आदेश 1962 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 संविधान (गोवा दमन और दीव) अनुसूचित जाति, आदेश 1968, संविधान गोवा, दमन और दीव (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978, संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 ।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से अभिप्राय निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में भी सम्बद्ध व्यक्ति से है :—

(क) बहरे . बहरे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिए सुनने की शक्ति न हो, उच्च स्वर में बोलने पर भी वे न तो बिलकुल सुन सकते हो और न ध्वनि को समझ सकते हो । इस वर्ग में ऐसे मामले भी शामिल हैं जो ठीक कान (गम्भीर रूप से असमर्थ) 90 डेसीबल से अधिक नहीं सुन सकते हो अथवा दोनों कानों से पूर्ण रूप से नहीं सुन सकते हो ।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्ति जिनमें कम से कम 40 प्रतिशत शारीरिक दोष अथवा अंग विकृति हो, जिससे हड्डी, पेशियों तथा जोड़ों के सामान्य रूप से कार्य करने में बाधा पैदा होती हो ।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट-1 में विहित रीति से किया जाएगा । परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

4 यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो —

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) ऐसा मूल भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका व जंजीबार) जाम्बिया मलावी जायरे इथोपिया और वियतनाम से आया हो ।

(1) परन्तु उपर की श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बन्धित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

(2) परन्तु यह भी शर्त है कि उपर की श्रेणी (ख), (ग), तथा (घ) से संबंधित उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-6 में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति पत्र तभी दिया जा सकता है जब उस वह मंत्रालय/विभाग आवश्यक प्रमाणपत्र दे दे जो उस पद से सम्बद्ध हो जहां उम्मीदवार की नियुक्ति की संभावना हो ।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है कि पहली अगस्त, 1990 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और पूरी 25 वर्ष की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1965 से पहले और पहली अगस्त, 1972 के बाद न हुआ हो ।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जो उक्त पैरा 3 (क) में दी गई निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, उन्हें अपनी वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा की अवधि घटाने की अनुमति होगी, किन्तु यह परिणामी आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अथवा अनारक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगी होने के हकदार होंगे ।

टिप्पणी–1 : ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन हेतु दिये लाभों को प्राप्त करके पहले ही नागरिक सेवा में सरकारी रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे आयु सीमा में छूट पाने के पात्र नहीं हैं ।

टिप्पणी–2 : उपरोक्त नियम 5 (ख) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आह्वान पर सेवा (काल आफ सर्विस) की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी ।

टिप्पणी–3 : आरक्षण की सुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से संघ की सेनाओं के किसी भी सैनिक को भूतपूर्व सैनिक के रूप में माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसने पद/सेवा के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया होगा तथा, अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा हकदारी को साबित करने की स्थिति में होगा कि वह अपने कार्य के पूरा होने की एक वर्ष की निश्चित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त/सेवामुक्त हो जाएगा (इस प्रयोजन के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तारीख प्रासंगिक है) ।

स्पष्टीकरण : संघ की सशस्त्र सेनाओं में काम कर रहे व्यक्तियों, जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी को प्राप्त करेंगे, को आबन्ध की विशिष्ट अवधि से एक वर्ष पहले पुनर्नियोजन के लिए आवेदन करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त होने वाली सभी रियायतों को प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उन्हें संघ की सशस्त्र सेनाओं में आबन्ध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने तक वर्दी उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ग) इन सभी मामलों में ऊपरलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(2) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 को भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(4) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(5) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(6) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही और शांतिकाल दिनों के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(7) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फल-स्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(8) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है तो अधिक से अधिक 10 वर्ष (अनुसूचित जातियों व जनजातियों के उन उम्मीदवारों को लिए जो शारीरिक रूप से विकलांग भी हैं, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को मिलने वाली 10 वर्ष की आयु छूट उन्हें खण्ड (1) के अन्तर्गत मिलने वाली आयु छूट के अतिरिक्त होगी) ।

(9) ऐसी विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई महिलाओं के मामले में जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, 35 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक) ।

(10) उन व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिक से अधिक 6 वर्ष की छूट है जो पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 की अवधि के दौरान साधारणतः असम राज्य में रहे हों । यह छूट उस (क) जिला मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में वह साधारणतः रहा हो अथवा (ख) असम सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी से प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी ।

(11) अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और 1 जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 तक साधारणतया असम राज्य में रहा है तो अधिकतम 11 वर्ष ।

(घ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 10 वर्ष तक की आयु छूट दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालयों में

लिपिकों/सहायकों/संकलकों/भण्डार रक्षकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1-8-90 को जिन्होंने लिपिकों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं ।

परन्तु यह भी शर्त है कि उक्त आयु की छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में (1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा और (2) भारतीय विदेश सेवा ख (3) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

(ङ) उक्त ऊपरी आयु में उन व्यक्तियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक के पदों पर नियुक्त हैं और 1-8-1990 को, जिन्होंने हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं ।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट अभ्यर्थी केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगिता के पात्र होंगे ।

(च) ऊपरी आयु सीमा में सैनिक लिपिकों को 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी जो सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में है अर्थात् जो सेना से 2 अगस्त, 1990 से पहली अगस्त, 1991 की अवधि में निवृत्त होने वाले हैं ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी । ऐसे उम्मीदवार शुल्क में किसी ऐसी शिकायत के पात्र नहीं होते हैं

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवारों को केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में रिक्त स्थानों के लिए ही, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं हैं, प्रतियोगिता के पात्र होंगे ।

(छ) उन टेलीफोन आपरेटरों के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी, जो दिनांक पहली अगस्त, 1990 को विदेश मंत्रालय में नियुक्त होंगे और जिनकी नियुक्ति यथावत् जारी है ।

(ज) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4-7-1934 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/15/81-स्थापना (ख) के अनुसार उन स्टाफ कार ड्राइवरों के लिए 35 वर्ष तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है, जो अवर श्रेणी लिपिकों के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक रूप से अर्हता रखते हों और जिन्होंने उक्त ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो) ।

टिप्पणी–1 : डाक विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 5 (घ) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई मानी जाएगी ।

टिप्पणी–2 : यदि उम्मीदवार की उपर्युक्त नियम 5 (घ) नियम 5 (ङ) और नियम 5 (छ) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, वह नौकरी से त्यागपत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से छंटनी हो जाए तो वे पात्र बने रहेंगे ।

टिप्पणी–3 : कोई लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स कैडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति हो, तो वह परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

टिप्पणी–4 : विदेश मंत्रालय में काम कर रहे स्थाई अथवा अस्थाई टेलीफोन आपरेटर इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे परन्तु किसी टेलीफोन आपरेटर को परीक्षा पास करने के लिए दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे ।

टेलीफोन आपरेटर जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अन्य असंवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे यदि वे अन्य प्रकार से पात्र हों । यह उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो किसी अन्य असंवर्ग पद स्थानान्तरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है, यदि उस समय टेलीफोन आपरेटर के पद में उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है ।

टिप्पणी–5 : जहां तक इस नियम की उक्त शर्त (छ) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, यह परीक्षा अर्हक होगी, प्रतियोगितात्मक नहीं । उनको टंकण परीक्षा में नहीं बैठना होगा जो इस परीक्षा का एक भाग है । उन्होंने पहले से टंकण परीक्षा पास नहीं कर रखी होगी तो उन्हें इस आयोग द्वारा ली गई कोई आवली टंकण परीक्षा निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पास करनी होगी । यदि वे यह परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी जब तक कि वे कथित परीक्षा पास नहीं कर लेंगे ।

आयोग द्वारा अनुशंसित टेलीफोन आपरेटर केवल भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-6 में लिये जाएंगे ।

ऊपर बताई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जाएगी । "भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों तथा पुत्रियों" तथा पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को आयु में कोई रियायत देय नहीं है ।

6 भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय उच्च विद्यालय के अन्त में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाणपत्र जो उस राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाणपत्र के समकक्ष माना जाता हो वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा 1 अगस्त, 1990 तक आवश्यक पास की होनी चाहिए ।

टिप्पणी–1 : यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसके पास करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिणिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिसका परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा भी उम्मीदवार जो किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा हो, वह आयोग की परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा ।

टिप्पणी–2 : कुछ विशिष्ट मामलों में जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त हो जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है ।

7. (1) जिस व्यक्ति ने :—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह अनुबन्ध किया है, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा ।

बशर्ते केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति का विवाह से दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकार है । तथा ऐसा करने के उचित कारण हैं और जब तक उसको इस नियम से छूट न दे दे ।

(2) जिस व्यक्ति ने विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया है, वह भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-6 की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

8. जो उम्मीदवार पहले से स्थायी या अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी में हो, वह परीक्षा में बैठने के लिए सीधा आवेदन कर सकता है परन्तु उसे टंकण परीक्षा में बैठने से पहले अपने कार्यालय से एक "अनापत्ति प्रमाणपत्र" भेजना होगा ।

9 उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना होगी ।

टिप्पणी : अशक्त भूतपूर्व रक्षा व्यक्तियों/कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबलाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाणपत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र न हो ।

12. सशस्त्र सेना से निवृत्त भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के विज्ञापन के अन्तर्गत शुल्क की छूट दी गई है, को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क देना होगा ।

13 यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है ।

14. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो जबकि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों का बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठ वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित ढंग का सहारा लिया है, अथवा

(7) असंगत सामग्री लिखना जिसमें आनेख में अश्लील भाषा या अश्लील सामग्री भी शामिल है, या

(8) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(9) परीक्षा भवन में किसी भी तरीके से अनुचित आचरण किया है, अथवा

(10) आयोग द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए, उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को तंग करना अथवा शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना, अथवा

(11) उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले उनके प्रवेश-प्रमाणपत्रों के साथ, उम्मीदवारों को जारी किए गए किन्हीं अनुदेशों का उल्लंघन करने, अथवा

(12) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को किसी प्रतिबद्धता अथवा जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रकार अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से या

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो ।

15. परीक्षा के बाद उन उम्मीदवारों को जो टंकण परीक्षा में पास होंगे अथवा जिनको इससे छूट मिल जाएगी लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनें श्रेष्ठता क्रम में रखा जाएगा तथा उसी क्रम में जितने उम्मीदवार आयोग द्वारा परीक्षाओं में पास हुए पाए जाएंगे उनकी अनारक्षित रिक्तियों की निर्धारित संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी ।

आगे यह भी शर्त है कि किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक, आयोग निर्धारित सामान्य स्तर में रियायत देकर, नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों ।

आगे यह भी शर्त है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, जिनकी आयोग द्वारा इस उप-नियम में उल्लिखित शिथिल मानदण्डों का सहारा लिए बिना सिफारिश की जानी है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर समायोजित नहीं किया जाएगा ।

लेकिन यह भी शर्त है कि भूतपूर्व सैनिकों अथवा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई हो तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग निर्धारित सामान्य स्तर में रियायत देकर भी भूतपूर्व सैनिकों अथवा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक परीक्षा में उनके योग्यता क्रम के स्थान का ध्यान किए बिना ही, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों ।

आगे यह भी शर्त है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अथवा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई हो तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग सामान्य स्तर में रियायत देकर भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर परीक्षा में उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना ही उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों ।

16. परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा टंकण परीक्षा में पहले के समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा ।

17. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परीक्षा-फल के संबंध में उससे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

18. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।

परिशिष्ट-1

परीक्षा दो भागों में ली जाएगी अर्थात् भाग-1 लिखित परीक्षा और भाग-II टंकण परीक्षा ।

भाग-I : लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए अनुमत समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

प्रश्न पत्र संख्या	विषय	पूर्णांक	अनुमत समय
1.	सामान्य बुद्धिमत्ता	50	
2.	अंग्रेजी भाषा	50	
3.	संख्यात्मक अभिरुचि	50	
4.	विषयिकीय अभिरुचि	50	
	कुल	200	

टिप्पणी :—सभी चारों विषयों के प्रश्न "वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्प प्रकार" के होंगे । उम्मीदवारों द्वारा सभी चारों विषयों में, अलग-अलग रूप से अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा । आयोग अपने विवेकानुसार सभी चारों विषयों को परीक्षा के न्यूनतम अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है ।

भाग-II : टंकण परीक्षा : टंकण परीक्षा में लगातार टाइप करने की सामग्री (टाइपिंग मैटर) का एक 10 मिनट की अवधि का पेपर होगा ।

2 टंकण परीक्षा अर्थात् परीक्षा की योजना के भाग-II में बैठने के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो ऊपर उल्लिखित चारों विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ लिखित परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार निश्चित किया गया एक न्यूनतम मानक प्राप्त करेंगे ।

3 परीक्षा के नियमों के नियम 15 के अनुसार केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए सिफारिश के पात्र होंगे जो अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करेंगे । (यह विदेश मंत्रालय में नियुक्त टेलीफोन आपरेटरों के मामले में लागू नहीं होता) ।

टिप्पणी : 1—जिन उम्मीदवारों ने संघ लोक सेवा आयोग अथवा सचिवालय प्रशिक्षणशाला अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान अथवा अधीनस्थ सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कोई आवधिक टंकण परीक्षा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से पहले ही पास कर रखी हो उन्हें इस परीक्षा की टंकण परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को पास की गई टंकण परीक्षा में अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा की तारीख अवश्य सूचित करनी होगी ।

टिप्पणी : 2—जो उम्मीदवार किसी शारीरिक अशक्तता के कारण टंकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करता है उसे अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वानुमोदन से इस परीक्षा के देने और पास करने की शर्त से छूट दी जा सकती है बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार को जब टंकण परीक्षा देने के लिए कहा जाए तो वह सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् सिविल सर्जन से (निर्धारित प्रपत्र में) एक प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत करे जिसमें उसकी किसी शारीरिक अशक्तता के कारण उसे टंकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो ।

4. उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा के लिए अपनी टाईप मशीन लानी होगी । स्टैण्डर्ड साईज के रोलर वाली मशीन टाईप के लिए काम दे सकेगी ।

5. उम्मीदवारों को छूट होगी कि टंकण परीक्षा हिन्दी (देवनागरी लिपि) में दें अथवा अंग्रेजी में ।

6. हिन्दी (देवनागरी लिपि) में टंकण परीक्षा में बैठने का विकल्प देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र

में ऐसा करने की अपनी इच्छा निर्दिष्ट करनी चाहिए, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि वह अंग्रेजी में टंकण-परीक्षा में बैठेगा । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जाएगा और विकल्प में कोई परिवर्तन करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । जिस भाषा की टंकण परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार ने अपना विकल्प दिया हो, उसके इतर भाषा की टंकण परीक्षा में बैठने पर कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा।

7 लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दर्शाया जाएगा ।

8 उम्मीदवार प्रश्न पत्र स्वयं अपने हाथ से लिखेंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपने प्रश्न पत्रों को लिखने के लिए किसी लेखक की सहायता अनुज्ञेय नहीं होगी ।

99 आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक विषय अथवा सभी विषयों में अर्हक अंक निर्धारित करेगा ।

अनुसूची

भाग-I लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम

1. सामान्य बुद्धिमत्ता—इस परीक्षा में दिए जाने वाले प्रश्न अनुदेशों को समझने, सम्बन्ध, समानताएं समंगति निर्धारित करने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार के बौद्धिक कार्यकलापों पर आधारित होंगे ।

2. अंग्रेजी भाषा—इस परीक्षा में प्रश्न अंग्रेजी भाषा के शब्द ज्ञान, व्याकरण, वाक्य गठन, पर्यायवाची, विलोम आदि के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किए जाएंगे । इस प्रश्नपत्र में एक प्रश्न अपठित गद्यांश का होगा ।

3 संख्यात्मक अभिरुचि—प्रश्न इस तरह तैयार किए जाएंगे जिससे कि सम्पूर्ण संख्याओं, दशमलवों और भिन्नों तथा संख्याओं के बीच संबंध के बारे में अंकगणित सम्बन्धी गणना की योग्यता की परीक्षा की जा सके प्रश्न अंकगणित की जटिल गणनाओं पर नहीं बल्कि अंकगणित संबंधी अवधारणाओं तथा संख्याओं के बीच संबंध पर आधारित होंगे ।

4. लिपिकीय अभिरुचि :—यह परीक्षा उम्मीदवार की प्रत्यक्ष-ज्ञानात्मक शुद्धता तथा अभिरुचि की जांच करने के उद्देश्य से तैयार की गई है । यह ऐसी योग्यता है जिससे नामों और संख्याओं के युग्मों की समानता तथा भिन्नता का पता चलता है । लिपिकीय अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों में प्रत्यक्ष-ज्ञानात्मक शुद्धता तथा अभिरुचि के अलावा फाइलिंग, संक्षेपण सूचक तैयार करने आदि जैसे तेजी के ढंग के कार्यालयी कामकाज निपटाने की योग्यता की भी जांच की जाएगी ।

परिशिष्ट—II

इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं/पदों के लिए भर्ती की जा रही है उनसे सम्बद्ध संक्षिप्त ब्यौरे :—

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा : केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं :—

1 उच्च श्रेणी ग्रेड : 1200-30-1560-द रो -10-2040 रुपये

2 अवर श्रेणी ग्रेड 950-20-1150-द. रो -25 1500 रुपये

2. अवर श्रेणी में नियुक्त व्यक्ति इस अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन रहेंगे तथा उन्हें सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना और विभागीय परीक्षाएं पास करना होगा । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर या परीक्षाएं पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है ।

3 परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि जितनी बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है ।

4. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यकारी कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा । उनकी किसी भी समय भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हों ।

5. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति किए जाने के पात्र होंगे । स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थाई अवर श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में यथानिर्दिष्ट निर्णायक तारीख को 5 वर्ष की अनमोदित या निरन्तर सेवा अवधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

6. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित तारीख को कम से कम दो वर्ष अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा करने के बाद श्रेणी "घ" के आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 50 वर्ष होनी चाहिए ।

7. जिन लोगों की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उनकी इच्छा के अनुसार की जाएगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड से सचिवालय लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरित या नियुक्ति की मांग नहीं कर सकेंगे ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा : रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1970 जो समय-समय पर बने हैं, संचालित होती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा 1962 पर आधारित है तथा समय-समय पर संशोधित होती रहती है ।

2 रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं :—

1 उच्च श्रेणी लिपिक : 1200-30-1560-द रो -40-2040 रुपये

2 अवर श्रेणी लिपिक : 950-20-1150-द रो -25-1500 रुपये

3. सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में ही की जाती है। अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति दो साल के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे और इस अवधि में उन्हें ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखलाने पर अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।

4. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे। ऐसे स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिक, जो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक तारीख को रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में 5 वर्ष की अनमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुके हों, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

5. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा यथानिर्धारित निर्णायक तारीख को उस से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुकने के बाद, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" के लिए की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्णायक तारीख को 45 वर्ष है।

6. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, रेल मंत्रालय तक सीमित है और उसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं हो सकते हैं।

7. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य जो इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए हैं :—

(1) पेंशन के लाभों के हकदार होंगे, और

(2) जब वे नौकरी में नियुक्त हुए हों, उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू और अंशदायी रेल्वे भविष्य निधि के नियमों के अधीन उस निधि में अंशदान करेंगे।

8. रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति ही बराबर की मात्रा में प्रिविलेज पासों और प्रिविलेज टिकट आर्डरों के हकदार होंगे।

9. जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल कर्मचारियों को उसी प्रकार की सुविधाएं हैं जैसा कि अन्य रेल कर्मचारियों को। किन्तु चिकित्सा सुविधाएं उन्हें दूसरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिनका मुख्यालय, नई दिल्ली है के समान हैं।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख)-ग्रेड-6

वेतनमान 950-20-1150-द. रो. -25-1500 रुपये

भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-6 में नियुक्त किए गए अधिकारी, उक्त ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा पूरी करने पर 1200-30-1560-द. रो. -40-2040 रुपये के वेतनमान में ग्रेड-5 में पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

2 भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-5 अधिकारी उक्त ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा पूरी करने पर 1400-40-1600-50-2300-द. रो. -60-2600 रुपये के वेतनमान में अपनी बारी पर उक्त सेवा के ग्रेड-6 में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-6 के अधिकारी, 1200-30-1560-द. रो. -40-2040 रुपये के वेतनमान में उक्त ग्रेड में अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी करने पर सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर सेवा के उप-संवर्ग में आशुलिपिकों के ग्रेड-3 में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

4. ग्रेड-6 के ऐसे अधिकारी, जो स्नातक हैं 1400-40-1600-50-2300-द. रो. -60-2600 रुपये के वेतनमान में, उक्त ग्रेड में अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी करने पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भारतीय विदेश सेवा (ख) के उप-संवर्ग में सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए उम्मीदवार या तो मुख्यालय पर भारत के किसी भी स्थान में अथवा विदेश में जहां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उन्हें तैनात किया जाता है किसी पद पर सेवा करनी होगी।

6. विदेश सेवा के दौरान, भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों का, उनके मूल वेतन के अतिरिक्त, उन दरों पर विदेश भत्ता मंजूर किया जाएगा जो सम्बन्धित मुल्कों के निर्वाह व्यय आदि के आधार पर समय-समय पर मंजूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (पी. एल. सी. ए.) नियम, 1961 के अनुसार, जो भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों के लिए लागू है विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी :—

(1) सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर निःशुल्क आवास।

(2) समय-समय पर यथासंशोधित सहयोजित चिकित्सा परिचर्या योजना के अधीन चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं।

(3) निजी अथवा पारिवारिक संकटकालीन परिस्थितियों के लिए अधिकारी की सेवा के दौरान ड्यूटी स्थान से भारत में आने और वापस जाने संबंधी अधिकतम दो बार वापसी हवाई यात्रा व्यय।

(4) कतिपय शर्तों पर भारत में किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था में अध्ययन कर रहे 6 से 22 वर्ष की आयु वाले दो बच्चों को छुट्टी के दौरान अपने माता-पिता के पास जाने के लिए न्यूनतम किराये वाली श्रेणी से वार्षिक वापसी हवाई किराया।

(5) कतिपय शर्तों पर, अधिकारी के विन्देशों में तैनाती स्थान पर अध्ययन कर रहे 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच वाले अधिकतम दो बच्चों के शिक्षा संबंधी व्यय को सरकार पूरा करती है।

(6) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विदेश में तैनाती के लिए परिधान भत्ता।

(7) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारी और उसके परिवार के लिए स्वदेश छुट्टी यात्रा व्यय।

7. सेवा में नियुक्त, स्थायीकरण और वरिष्ठता सम्बन्धी शर्तें भारतीय विदेश सेवा (ख) (भर्ती संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964 के संगत उपबन्धों और किन्हीं अन्य नियमों अथवा आदेशों जिन्हें सरकार बाद में बनाए, द्वारा भी शासित होंगी ।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में निम्नलिखित ग्रेड हैं —

उच्च श्रेणी ग्रेड : 1200-30-1560-द. रो.-40-2040 रुपये

अवर श्रेणी ग्रेड : 950-20-1150-द. रो.-25-1500 रुपये

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पद अवर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी ग्रेड में ही की जाती है ।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है । इस अवधि में असन्तोषजनक सेवा रिकार्ड के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से हटाया जा सकता है । परिवीक्षा की अवधि में उन्हें समय-समय पर यथाविहित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है।

3. अवर श्रेणी लिपिक समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टिकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे ।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती किए गए अवर श्रेणी लिपिक सामान्यतः दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों के किसी कार्यालय में नियुक्त किए जाएंगे । किन्तु लोक हित में भारत में कहीं भी उनकी बदली की जा सकती है ।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं ।

(ङ) संसदीय मामलों का मंत्रालय. इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतनमान 950-20-1150-द.रो.-25-1500 रुपये है ।

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुनाव करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा ।

(च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा निर्वाचन आयोग

1. आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद का वेतनमान 950-20-1150-द.रो.-25-1500 रुपये ।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा निर्वाचन आयोग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल नहीं हैं ।

3. नियुक्त किए गए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन होंगे ।

4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग में 5 वर्ष तथा निर्वाचन आयोग में 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् वे उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे ।

डा. रविन्द्र सिंह,
अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1990

शुद्धि-पत्र

सं० एस सी 1(1)/86डी-III—इस विभाग के दिनांक 22 फरवरी, 1990 के इसी संख्या के संकल्प जो इस्पात उपभोक्ता परिषद् के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में भारत के राजपत्र के भाग-I खंड-1 में प्रकाशित हुआ था, के संदर्भ में।

2. उक्त संकल्प में पैरा 2 के नीचे "प्रतिनिधित्व" के तहत क्रम संख्या 2 में दी गई प्रविष्टि "सी० आर० स्ट्रिप्स मैन्युफक्चर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, बम्बई" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

"कोल्ड रोल्ड स्टील मन्युफैक्चर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, नई दिल्ली"।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त शुद्धि-पत्र की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, जिसमें प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी शामिल हैं, और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यू० के० मुखोपाध्याय,
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 1990

संकल्प

विषय ——राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पुनरवलोकन के के लिए समिति की स्थापना।

सं० 1-6-/90-पी०एन० (डी-1)—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में किए गए प्रयासों के बावजूद हमारे देश के अधिकांश लोग अभी भी शिक्षा, जो मानव विकास की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है, से वंचित हैं। यह भी एक अत्यन्त क्षोभ की बात है कि विश्व के निरक्षरों में से 50 प्रतिशत हमारे देश में हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक शिक्षा स्वीकार्य स्तर से वंचित रह जाते हैं। सरकार शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता देती है एक मानव अधिकार के रूप में तथा अधिक मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर अग्रसर होने के एक साधन के रूप में। यह जरूरी है कि शिक्षा को महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों को समानता का हक प्राप्त कराने का एक प्रभावी साधन बनाया जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षा को कार्य तथा रोजगार उन्मुख बनाया जाना आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है कि जो अभिजात्य विकृति हमारी शिक्षा के परिवेश की एक विशेषता बन गई है, उससे शिक्षा को मुक्त किया जाए। शैक्षिक संस्थाएं जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा रूढ़िवाद से अधिकाधिक प्रभावित होती जा रही हैं। इसके विरुद्ध संघर्ष करने पर बल देना और सही समतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का पुनरवलोकन किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसा ढांचा तैयार हो पाए, जिससे देश शिक्षा के इस परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ सके।

2. अतः सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरवलोकन समिति स्थापित करने का निर्णय किया है जिसका गठन निम्नानुसार होगा :

1. आचार्य राममूर्ति, खादी ग्राम, जिला मुंगेर — अध्यक्ष
2. प्रो० सी० एन० आर० राव, निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर। — सदस्य
3. डा० सुखदेव सिंह, भूतपूर्व कुलपति, पंजाब तथा मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय — सदस्य
4. डा० एम० संतप्पा, भूतपूर्व कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय। — सदस्य
5. डा० ओबैद सिद्दकी, टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई। — सदस्य
6. डा० भास्कर राय चौधुरी, कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता। — सदस्य
7. श्री एम० जी० भाटीवाडेकर, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, महाराजा कालेज, जयपुर। — सदस्य
8. प्रोफेसर उषा मेहता, राजनीतिशास्त्रज्ञ और शिक्षक, बम्बई। — सदस्य
9. प्रो० सच्चिदानन्द मूर्ति, संगम जगरलामुडी, गुंटूर। — सदस्य
10. डा० अनिल सदगोपाल, किशोर भारती, होशंगाबाद। — सदस्य
11. फादर टी०वी० कुन्नुंकल, अध्यक्ष, नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली। — सदस्य
12. प्रोफेसर मृणाल मिरि, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग। — सदस्य
13. डा० विद्या निवास मिश्र, कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी। — सदस्य
14. डा० एस० जहूर कासिम, कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली। — सदस्य
15. श्री वेद व्यास, अध्यक्ष, डी० ए०व० कालेज प्रबन्ध समिति, नई दिल्ली। — सदस्य
16. श्री मनुभाई पचोली, लोक भारती, सणोसरा, जिला भावनगर। — सदस्य

17. श्री एस गोपालन, सदस्य-सचिव
अपर सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग,
नई दिल्ली।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा उसके कार्यान्वयन की समीक्षा

(ख) नीति के संशोधन के संबंध में सिफारिशें करना और

(ग) संशोधित नीति के समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कार्यवाही की सिफारिश करना।

4. समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तैयार करेगी तथा अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र परन्तु इस आदेश के जारी होने की तारीख से छः महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी। यदि समिति उपयुक्त समझे तो अन्तरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारों, संघशासित प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभाग की संस्थाओं/संगठनों आदि को जानकारी के लिए भेजी जाए।

एस० पी० तुली, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 1990

अधिसूचना (25)

सं० ए० 1-19/89 त० 13/त-दी—शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार ने मध्य प्रदेश, भोपाल स्थित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय पालिटेक्नीक, भोपाल के छात्रों को केन्द्रीय सरकार के अधीन अधीनस्थ पदों और सेवाओं में रोजगार के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त वीडियो-ग्राफी में प्रदान किये गये तीन वर्षीय डिप्लोमा को जो वर्ष 1987 से प्रभावी होगा, सहर्ष मान्यता प्रदान किया है।

अधिसूचना सं० (26)

सं० एफ० 1-56/88 टी०-13 टी०डी०-VI—शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों पर भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार ईंजीनियरी संस्थान द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं उत्कृष्ट पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए, जहां संगणक विज्ञान में एम० टेक० डिग्री भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता है, के लिए प्रदान किए गए 3 वर्षीय अशकालिक संगणक विज्ञान में प्रोन्नतस्तरीय पाठ्यक्रम को, जो वर्ष 1987 से प्रभावी होगा, अस्थायी रूप से सहर्ष मान्यता प्रदान किया है।

एम० एम० चौधरी,
सहायक शिक्षा सलाहकार (त०)

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 30th April 1990

No. A.1101110/85-Ad.I.—Reference this Secretariat's Resolution of even No. dated 5th July, 1988 reconstituting the Economic Advisory Council.

2. The Government have decided to extend the term of the Economic Advisory Council with the same constitution by two years i.e. with effect from 5th July, 1990 to 4th July, 1992.

D. DASGUPTA
Jt. Secy.

(PLANNING COMMISSION)

(SOCIO-ECONOMIC RESEARCH UNIT)

New Delhi, the 16th April 1990

RESOLUTION

No. O.15011/2/90-SER.—Reference Planning Commission's Resolution No. O.15011/2/90-SER dated 2nd April, 1990.

2. Para 4 of the Resolution may be deleted and in its place, the following may be substituted :

"4. The Members of the Research Advisory Committee will be entitled to travel by air in executive class or by rail in the first class airconditioned for journeys relating to the work of the Committee.

"5. Planning Commission will arrange for lodging and boarding at its own cost for the outstation members at the place of the meeting.

"6. Conveyance in connection with the work of the Research Advisory Committee at the place of meeting will be provided by the Planning Commission.

"7. The Members of the Research Advisory Committee who do not avail of the facilities mentioned in 5 or 6 above will be entitled to daily allowance (DA) or conveyance allowance (CA) as admissible to the Members of High Powered Committees and specified in Department of Expenditure O.M. No. 19020/1/84-E.IV dated 23rd June, 1986 (as amended from time to time). The expenditure on TA, DA, and CA will be borne by the Planning Commission.

3. Para 5 of the above mentioned Resolution will be renumbered as 8.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India or general information.

J. C. DANGWAL
Director (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

RULES OR CLERK'S GRADE EXAMINATION, 1990

New Delhi-1, the 2nd June 1990

No. 9/3/90-SS.II.—The Rules for Competitive Examination to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel and Training, in 1990 for the purpose of filling temporary vacancies in the following service/posts

(and for such other service posts as may be included by the Commission in their Advertisement inviting applications for the Examination) are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B) Grade VI.

(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service-Grade-II.

(iii) Central Secretariat Clerical Service-Lower Division Grade.

(iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service-Lower Division Grade.

(v) Posts of Lower Division Clerks in the Election Commission of India.

(vi) Posts of Lower Division Clerks in the Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi.

(vii) Posts of Lower Division Clerks in the Central Vigilance Commission.

Preferences in respect of services/posts mentioned above will be invited by the Commission from the candidate at the time of admitting them to the typewriting test after result of the written examination.

2. Reservation will be made for candidates who are ex-servicemen, for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for physically handicapped (the deaf and orthopaedically handicapped persons only) persons in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3.(A) "An 'ex-serviceman' means a person, who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and Regular Army, Navy and

(a) Who retired from such service after earning his/her pension; or

(b) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or

(c) who has been released, or otherwise than on his own request, from such service as a result of reduction in establishment;

(d) who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army of the following categories, namely :—

(i) pension holders for continuous embodied service;

(ii) persons with disability attributable to military service; and

(iii) gallantry award winners."

(B) Scheduled Castes/Scheduled Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes Order 1950, the Constitution) (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes (Union Territories) Order, 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 and the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes, Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act. 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes, Order, 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989.

(C) Physically handicapped person means a person belonging to any of the following categories :—

(a) *The Deaf.*—The deaf are those in whom the sense of hearing is non-functional for ordinary purposes of life. They do not hear and understand sound at all even with amplified speech. The cases included in this category will be those having hearing loss more than 90 decibels in the better ear (profound impairment) of total loss of hearing in both ears.

(b) *The Orthopaedically Handicapped.*—Orthopaedically handicapped, who have a minimum of 40% of physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules. The date on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) A person of Indian Origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tangaynika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

(1) Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B) Grade VI,

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Ministry/Department, which is administratively concerned with the post where the candidate is likely to be appointed.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st Augst, 1990 i.e. he/she must have been born not earlier than 2nd August, 1965 and not later than 1st August, 1972.

(b) Ex-servicemen fulfilling the conditions laid down in para 3(A) above shall be allowed to deduct military service from their actual age and such resultant age should not exceed prescribed age limit by more than three years.

Candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-servicemen.

Note 1 :—Ex-Serviceman who already joined Government job in civil side after availing of the benefits given to them as ex-servicemen for their re-employment are *not* eligible to the age concession.

Note 2 :—The period of 'Call up Service' of an ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of Rule 5(b) above.

Note 3 :—For any servicemen of the Armed Forces of the Union to be treated as Ex-servicemen for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for the post/service, the status of ex-serviceman and/or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidance from the competent authority that he

would be released/discharged from the Armed Forces within the stipulated period of one year on completion of his assignment (The date of submitting of the application is relevant for this purpose).

Explanation : The persons serving in the Armed Forces of the Union who on retirement from service, would come under the category of 'Ex-servicemen' may be permitted to apply for re-employment *one year* before the completion of the specified terms of engagements and avail themselves of all concessions available to ex-servicemen but shall not be permitted to leave the uniforms until they complete the specified term of engagement in the armed Forces of the Union.

(C) The upper age limit in all these cases will be further relaxable :—

(i) Upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) Upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(iii) Upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian Origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964; or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(iv) Upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian Origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(v) Upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate of Indian Origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(vi) Upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(vii) Upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(viii) Upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person, [for candidates belonging to SC or ST, who are physically handicapped, the maximum relaxation of ten years permissible for physically handicapped persons shall be in addition to the age relaxation provided in terms of Column (i)];

(ix) Upto the age of 35 years (upto 40 years for members of Scheduled Castes Scheduled Tribes) in the case of widows, divorced women and women judicially separated from their husbands who are not remarried;

(x) Upper age limit is relaxable upto a maximum of six years for those persons who ordinarily resided in the state of Assam during the period from 1st January, 1980 to 15th August 1985. This is subject to the production of a certificate from (a) the District Magistrate within whose jurisdiction he/she ordinarily resided or (b) any other authority designated in this behalf by the Government of Assam.

(xi) Upto a maximum of eleven years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and has ordinarily resided in the State of Assam during the period from the first day of January, 1980 to the fifteenth day of August, 1985.

(D) The upper age limit will be relaxable upto the age of 40 years in respect of persons who have been regularly appointed as Clerks/Assistant Compilers/Storekeepers in the various Departments/Offices of the Government of India and in the office of the Election Commission, and have rendered not less than 3 years continuous service as Clerks as on 1-8-1990 and who continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be admissible to persons appointed as Clerks in the Ministries/Departments and Attached Offices, participating in (i) Central Secretariat Clerical Service; (ii) Indian Foreign Service (B); (iii) Railway Board Secretariat Clerical Service.

(E) The upper age limit will be relaxable upto the age of 40 years in respect of persons who have been employed as Hindi Clerks/Hindi Typists in the various Ministries/Departments and Attached Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service and have rendred not less than 3 years continuous service as Hindi Clerks/Hindi Typists as on 1-8-90 and who continue to be so employed.

Provided that candidates admitted to the Examination under this age concession shall be eligible to compete for only vacancies in the Central Secretariat Clerical Service

(F) The upper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of service clerks in the last years of their colour service in the Armed Forces, i.e. those who are due for release from the Army during the period of 2nd August, 1990 to 1st August, 1991.

Such candidates are not entitled to any concession in fee

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancies in armed forces headquarters and Inter-Services Organisations, which are not reserved for ex-servicemen.

(G) There will be no upper age limit for Telephone Operators who are employed in the Ministry of External Affairs as on 1-8-1990 and who continue to be so employed.

(H) Upper age limit it also relaxable upto 35 years for the Staff Car Drivers who are educationally qualified for appointment to the posts of LDCs and who have not rendered less than 3 years of continuous service in the grade, in accordance with DP&AR's O.M. No. 22011/15/81-Estt. (D), dated 4-7-1983;

Note 1 : Services rendered by R.M.S. Sorters employed in Subordinate offices of Postal Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerks for purpose of Rules 5(d) above.

Note 2 : The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(d), Rule 5(e) and Rule 5(g) above, is liable to be cancelled if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by this Department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

Note 3 : A Clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination.

Note 4 : Any permanent or temporary Telephone Operator working in the Ministry of External Affairs shall be eligible to appear at the examination provided that no Telephone Operator shall be allowed to avail of more than two chances to qualify in the examination.

Telephone Operators, who are on deputation to other ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible This also applies to a person who has been appointed to another ex-cadre post or to another service on transfer, if he/she continues to have lien on the post of Telephone Operator for the time being.

Note 5 : The examination will be qualifying and not competitive so far as persons falling under category (g) above of this rule are concerned, they will not be required to appear at the type-writing test forming part of this examination. They shall have to pass a periodical type-writing test held by this Commission, if not already passed within a period of one year from the date of their appointment as a Lower Division Clerk, failing which no annual increment will be allowed to them until they have passed the said test,

Telephone Operator recommended by the Commission shall be inducted only in I.F.S. (B) Grade VI.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED. AGE CONCESSION IS *NOT* ADMISSIBLE TO THE 'SONS AND DAUGHTERS OF EX-SERVICEMEN' AND PERSONS BELONGING TO 'BACKWARD CLASSES.'

6. Candidates must have passed the Matriculation Examination as on 1-8-1990 of any University incorporated by an act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School, or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to matriculation certificate for entry into services.

Note 1 : A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also a candidate who intends to appear at such a qualifying examination will not be eligible for admission to the Commission's examination

Note 2 : In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that Government justified his admission to the examination.

7. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

(ii) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)-Grade VI.

8. A candidate already in Government service whether in a permanent or temporary capacity may apply direct for appearing at the examination but will have to send to the Commission a 'No Objection Certificate' from his office before being allowed to take the Typewriting Test.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined

Note : In the case of the disabled ex-Defence Services Personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he/she holds a certificate of admission from the Commission

12 Candidates except ex-servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee vide Commission's advertisement must pay the fee prescribed therein

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) Impersonating, or

(iii) Procuring impersonation by any person, or

(iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) Making statement which are incorrect or false, or suppressing materials information, or

(vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature, for the examination, or

(vii) Writing irrelevant matters including obscene languages or pornographic matter in the script, or

(viii) Using unfair means in the examination hall, or

(ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) Harrassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

(xi) Violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) Attempting to commit, or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, or may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under appropriate rules, if he is already in service under Government.

15. After the examination, the candidates competing for the services/posts mentioned in para 1 who qualify at the typewriting test or are exempted therefrom will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate at the written examination; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the basis of results of the examination.

Provided further that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the for selection, to the service irrespective of their ranks in the

Provided further that the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who have been recommended by the Commission without resorting to the relaxed standard referred to in this sub-rule, shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Provided that, candidates belonging to the Ex-servicemen or Physically Handicapped may, to the extent the number of vacancies reserved for them cannot be filled on the basis of General Standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection, to the service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Physically Handicapped may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Physically Handicapped cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

16. Due consideration will be given at the time of making appointments on the basis of results of the examination to the preferences expressed by a candidate for various services/posts at the time of his admission to the typewriting test.

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at its discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding result.

18. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

DR. RAVENDRA SINGH, Under Secy

APPENDIX—I

The Examination will consist of two parts, viz. Part I-Written Examination and Part II-Typewriting Test—

Part I Written Examination :—The subjects of the written examination the time allowed and the maximum marks for each test will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum Marks	Time Allowed
1.	General Intelligence	50	2 Hours
2.	English Language	50	
3.	Numerical Aptitude	50	
4.	Clerical Aptitude	50	

NOTE The questions in all the four tests will be 'Objective Multiple-Choice-Type", candidates will be required to qualify in each of the four tests separately. The Commission will have full discretion to fix the minimum qualifying marks in each of the four tests.

Part II Typewriting Test :—The typewriting Test will consist of one paper on Running Matter of 10 minutes duration.

2. Only those candidates who qualify in all the four tests and attain at the written examination a minmum standard, as may be fixed by the Commission in their discretion, will be eligible to take the typewriting test, i.e. Part II of the scheme of examination.

3. Only such candidates as qualify at the Typing Test at a speed of not less than 30 words per minute in English or not less than 25 words per minute in Hindi will be eligible for being recommended for appointment in terms of Rule 15 of the Rules for the Examination (This does not apply in the case of Telephone Operators employed in the Ministry of External Affairs).

NOTE 1 :—Candidates who have already passed one of the periodical Typewriting Tests in English or Hindi held by the Union Public Service Commission or the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Services Commission or Staff Selection Commission at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi need not appear at the Typewriting Test in this examination. Such candidates must indicate their Roll Numbers and the date of the Typewriting Test which they have passed.

NOTE 2 : -A candidate who claims to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physical disability, may with the prior approval of the Chairman Staff Selection Commission, be exempted from the requirement of appearing and qualifying at such test, provided such a candidate, when required to appear at the Typewriting Test, furnishes a certificate (in the prescribed form) to the Commission from the competent medical authority i.e. the Civil Surgeon, declaring him/her to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physical disability.

4. Candidates will be required to bring their own Typewriter for the Typewriting Test. A typewriter with the standard size roller will do for the test.

5. Candidates are allowed the option to take the typewriting test in Hindi (in Devanagri Script) or in English.

6. Candidates desirous of exercising the option to take the Typewriting Test in Hindi (in Devanagri Script) should indicate their intention to do so in their application otherwise it would be presumed that he would take the Type-writing Test in English. The option once exercised will be final and no request for change of option will be entertained. No credit will be given for Typewriting Test taken in a Language other than the one opted for by the candidates.

7. The syllabus for the written examination will be as shown in the Schedule to this Appendix.

8. Candidates must write the Papers in their own hand. In no circumstances, they will be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

9. The Commission has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS FOR THE SUBJECTS INCLUDED IN PART I WRITTEN EXAMINATION

Syllabus

1. *General Intelligence* : The questions in this test will be based on understanding instructions determining relationships, similarities, relevance, drawing conclusions and similar intellectual functions.

2. *English Language* : Questions in this test will be set to assess the knowledge of English language, its vocabulary, grammer, sentence structure, synonyms antonyms, etc. There will also be a question on comprehension of a passage.

3. *Numerical Aptitude* : Questions will be designed to test the ability of arithmetical computation of whole numbers, decimals and fractions and relationship between numbers. The questions would be based on arithmetical concepts and relationship between numbers and not on complicated arithmetical computation.

4. *Clerical Aptitude* : This is designed to test candidate's perceptual accuracy and aptitude. This is the ability to notice similarities and differences between pairs of names and numbers. Questions in clerical aptitude will also assess in addition to perceptual accuracy and aptitude, ability to handle office routine work like filing, abbraviting, indexing etc.

Appendix II

Brief particulars relating to services/posts to which recruitment is being made through this examination

A. *CENTRAL SECRETARIAT CLERICAL SERVICE* :

The Central Secretariat Clerical Service has two grades as follows :

(i) Upper Division Grade—Rs 1200-30-1560-EB-40-2040.

(ii) Lower Division Grade—Rs 950-20-1150-EB-25-1500.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the clerk on probation or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service on his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

6. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade 'D' Stenographers' Examination after rendering not less than two years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 50 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that service will not after such appointment, have any claim for transfer or appointment to the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service.

B. *RAILWAY BOARD SECRETARIAT CLERICAL SERVICE* :

The Service conditions of the Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railways, so far as recruitment, training, promotion etc. are concerned, are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970 which are on lines of Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 as amended from time to time.

2. The Railway Board Clarical Service consists of the following two grades :—

(i) Upper Division Grade—Rs 1200-30-1560-EB-40-2040.

(ii) Lower Division Grade—Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

3. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only. Persons recruited to Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in their discharge from service.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the Rules in force from time to time in this behalf, permanent or regularly appointed Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade of Railway Board Secretariat Clerical Service on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination for Grade 'D' of the Railway Board Secretariat Stenographers Service held by the Ministry of Railways after rendering not less than 2 years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf The upper age limit for this examniation is 45 years on the crucial date.

6. The Railway Board Secretariat Clerical Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Clerical Service.

7. Officers of the Railway Board Secretariat Clerical Service recruited under those rules :—

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory state Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway servants appointed on the date they join service.

8. The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the previlage of passes and previlage tickets orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

9. As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

C. *INDIAN FOREIGN SERVICE (B) GRADE VI* :

The scale of pay Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

Officers appointed to Grade VI of the Indian Foreign Service (B) are eligible for promotion to Grade V in the pay scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 on completion of eight years of service in the grade.

2. Officers of Grade V of the Indian Foreign Service (B) will in turn be eligible for appointment to Grade IV of the service in the pay scale of Rs. 1400-40-1600-50-2200-EB-60-2600 on completion of five years of service in the grade.

3. Officers of Grade VI of the Indian Foreign Service (B), will be eligible for promotion to Grade III of Stenographers' sub-cadre of the service in the pay scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 on completion of required number of years of service in the grade, on the basis of a Limited Departmental Examination.

4. Such officers of Grade VI, who are graduates, will be eligible for appointment to the Grade of Assistant in the sub-cadre of IFS(B) in the pay scale of Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600 on completion of required number of years of service in the grade through a Limited Departmental Examination.

5. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) will be liable to serve in any post either at Headquarters, anywhere in India or abroad to which they may be posted by the controlling authority.

6. During service abroad IFS(B) officers, are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to IFS(B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government;

(ii) Medical Facilities under Assisted Medical Attendance Scheme as amended from time to time;

(iii) Upto a maximum of 2 Single return air passages to India and back throughout the officer's entire service for reasons of personal or family emergency;

(iv) Annual return air passage cheapest class for two children between the age of 6 and 22 studying in recognised educational Institutions in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions;

(v) Expenditure on education of children upto a maximum of two children between the age of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the officer is met by the Government subject to certain conditions;

(vi) Outfit allowances for posting abroad as per existing instructions

(vii) Home Leave Passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

7. The conditions for appointment, confirmation and seniority in the service will be governed by the relevant provisions of the Indian Foreign Service (B) Recruitment Cadre, Seniority and Promotion Rules, 1964, and also by any other rules or orders, which Government may hereafter make.

D. *ARMED FORCES HEADQUARTERS CLERICAL SERVICE* :

The Armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.

Lower Division Grade—Rs 950-20-1150-EB-25-1500.

The posts in Upper Division Grade are filled by promotion from amongst Lower Division Clerks. Direct recruitment is made in the Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years which period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During the period of probation they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time to time.

3. Lower Division Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service, will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and inter-Service Organisations located in India/New Delhi. They will also be liable to be posted anywhere within India in the public interest.

5. Leave, Medical aid and other conditions of service will be same as applicable to other Ministerial staff employed to the AFHQ and Inter-Service Organisations.

E. *MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS* :

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerks in the Ministry is Rs 950-20-1150-EB-25-1500.

Candidates appointed to the service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

Posts of Lower Division Clerks in the Ministry of Parliamentary Affairs are not included in C.S.S.

F. *CENTRAL VIGILANCE COMMISSION AND ELECTION COMMISSION* :

1. The scale of pay for the Lower Division Clerk in the Commission is Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

2. The posts of Lower Division Clerks in the Central Vigilance Commission and the Election Commission are not included in the CSCS.

3. The persons appointed will be on probation for a period of two years.

4. They will be eligible for promotion to the grade of Upper Division Clerks after putting in five years service in case of Central Vigilance Commission and eight years service in the case of Election Commission.

DR. RAVINDRA SINGH,
Under Secy.
Deptt. of Personnel & Training

MINISTRY OF STEEL & MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 26th April 1990

No. SC-1(1)/86-D-III.—Reference is invited to this Department's Resolution of even number dated 22nd Feb, 1990, published in part (I) Section (I) of the Gazette of India regarding extension of tenure of the Steel Consumers' Council.

2. In the said Resolution for the entry "CR Strips Manufacturers Association of India, Bombay" appearing at Sr. No. 2 under Representation under para 2, please substitute the following."Cold Rolled Steel Manufacturers Association of India, New Delhi".

ORDER

ORDERED that a copy of the above Corrigendum be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministeries and Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

ORDERED also that it be published in the Gazette of India for general information.

U. K. MUKHOPADHYAY
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 7th May 1990

Sub : Appointment of a Committee to review the National Policy on Education, 1986.

No. F.1-6/90-PN(D.1).—Despite efforts at social and economic development since attainment of Independence, a majority of our people continue to remain deprived of education, which is one of the basic needs for human development. It is also a matter of grave concern that our people comprise 50 per cent of the world's illiterate, and large sections of children have to go without acceptable level of primary education Government accords the highest priority to education—both as a human right and as the means for bringing about a transformation towards a more human and enlightened society. There is need to make education an effective instrument for securing a status of equality for women, and persons belonging to the backward classes and minorities. Moreover, it is essential to give a work and employment orientation to education and to exclude from it the elitist aberrations which have become the glaring characteristic of the educational scene. Educational institutions are increasingly being influenced by casteism, communalism and obscurantism and it is necessary to lay special emphasis on struggle against this phenomenon and to move towards a genuinely egalitarian and secular social order. The National Policy on Education, 1986 (NPE), needs to be reviewed to evolve a framework which would enable the country to move towards this perspective of education.

2. Government have, therefore, decided to set up NPE Review Committee with the following composition :

CHAIRMAN

1. Acharya Ramamurti,
Khodigram, District Munger.

MEMBERS

2. Professor C. N. R. Rao,
Director,
Indian Institute of Science.
Bangalore.

3. Dr. Sukhdev Singh,
Formerly Vice-Chancellor,
Punjab and MP Agricultural Universities.

4. Dr. M. Santappa,
Formerly Vice-Chancellor,
Madras University.

5. Dr. Obaid Siddiqui,
Tata Institute of Fundamental Research,
Bombay.

6. Dr. Bhaskar Roy Chaudhary,
Vice-Chancellor,
Calcutta University,
Calcutta.

7. Shri M. G. Bhativadekar,
Formerly Principal,
Maharaja College,
Jaipur.

8. Professor Usha Mehta,
Political Scientist and Teacher,
Bombay.

9. Professor Sachhidanand Murthy,
Sangam Jagarlamudi,
Guntur.

10. Dr. Anil Sadgopal,
Kishore Bharati,
Hoshangabad.

11. Father T. V. Kunnunkal,
Chairman,
National Open School,
New Delhi.

12. Professor Mrinal Miri,
Professor of Philosophy,
North Eastern Hill University,
Shillong.

13. Dr. Vidya Niwas Mishra,
Vice-Chancellor,
Kashi Vidyapeeth,
Varanasi.

14. Shri S. Z. Quasim,
Vice-Chancellor,
Jamia Millia Islamia,
New Delhi.

15. Shri Veda Vyasa,
Chairman,
DAV College Management Committee,
New Delhi.

16. Shri Manubhai Pancholi,
Lok Bharati, Sanosara,
District Bhavnagar.

MEMBER-SECRETARY

17. Shri S. Gopalan,
Additional Secretary,
Ministry of Human Resource Development,
Department of Education,
New Delhi.

3. The terms of reference of the Committee will be as follows :

(a) to review the National Policy on Education, 1986 and its implementation;

(b) to make recommendations regarding revision of the Policy, and

(c) to recommend action necessary for implementation of the revised Policy within a timeframe

4. The Committee will devise its own procedure of work and submit its report as soon as possible, but not later than six months from the date of issue of the order. It may submit interim reports as may be considered appropriate.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Union Territory Administrations, Universities, Institutions/Organisations of the Department of Education, Ministry of Human Resource Development, etc. for information.

S. P. TULI
Jt. Secy

New Delhi, the 4th May 1990

F. No. 1-19/89.T.13/TD-V( ).—On the recommendation of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recognise the three years Diploma in Applied Videography awarded by the State Board of Technical Education, Madhya Pradesh, Bhopal to the students of Sardar Vallabh Bhai Patel Government Polytechnic, Bhopal, for the purposes of employment to subordinate posts and services under the Central Government, effective from 1987

No. F.1-56/.T.13/TD-V( ). —On the recommendation of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recognise provisionally the three year part-time Advanced Level Course in Computer Science (ALCSS) awarded by the Institute of Electronics and Telecommunication Engineers, New Delhi for appointment to superior posts and services under the Central Government where M. Tech. Degree in Computer Science is the prescribed qualification for recruitment, effective from 1987.

M. M. CHOUDHURY
Asstt Educational Adviser (T)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990